भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3395

दिनांक 26. 4. 2000 को उत्तर के लिए

संसदीय राजभाषा की सिफारिशे

3395. श्री बालकवि बैरागी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संसदीय राजभाषा समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली है कि अधीनस्थ कार्यालयों में अनुवाद संबंधी पदों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अलग-अलग संवर्ग गठित किए जाएं उन्हें पदोन्नति के उचित अवसर प्राप्त हो सकें; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुशंसा को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है तथा इस संबंध में भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं ?

उत्तर

गृह राज्य मंत्री (श्री आई.डी. स्वामी)

(क) सरकार ने संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की है कि अधीनस्थ कार्यालयों में अनुवाद कार्य से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों के सवंर्ग का गठन जहां संभव हो वहां किया जाए तथा जहां संभव न हो वहां पदोन्नति के लिए अन्य प्रकार से व्यवस्था की जाए ।

(ख) संसदीय राजभाषा समिति की यह सिफारिश राजभाषा विभाग द्वारा 30 दिसम्बर, 1998 को संकल्प के रूप में परिचालित की गई थी । राजभाषा विभाग के दिनांक 13 नवम्बर, 1990 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा इस विषय में सभी मंत्रालयों/विभागों को निर्देश जारी किये गये थे ।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है । इन निर्देशों के अनुपालन के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर स्मरण दिलाया गया है ।